बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 02/01/26

सारण जिलान्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण में जप्त वाहनों को बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित, 2021 के सुसंगत नियमों के तहत राज्यसात किये गये वाहनों की नीलामी दिनांक 30.08.2024 को की गई। उक्त नीलामी में वाहन संख्या–OD05AV-8575 की नीलामी ₹8,06,000/–(रूपये आठ लाख छः हजार मात्र) में हुई थी। उक्त नीलामी में सफल डाकवक्ता द्वारा जमा की गई DD की राशि सरकारी खाते में श्री लाल बिहारी प्रसाद (भू–भौतिकशास्त्री) तत्कालीन खनिज विकास,पदाधिकारी, सारण सम्प्रति खान एवं भूतत्व विभाग मुख्यालय के द्वारा जमा नहीं करायी गयी। साथ ही निविदा के नियम में 25 प्रतिशत बोली की तिथि को तथा शेष राशि 05 दिनों के अन्दर निविदादाता को जमा करने की बाध्यता का अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया। श्री लाल बिहारी प्रसाद (भू–भौतिकशास्त्री) तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, सारण सम्प्रति खान एवं भूतत्व विभाग मुख्यालय का यह कृत्य अपने पदीय दायित्व का सही ढ़ंग से निर्वहन नहीं करने का परिचायक है एवं उनके इस कृत्य से सरकारी राजस्व की क्षति हुई है।

2. श्री लाल बिहारी प्रसाद (भू–भौतिकशास्त्री) तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, सारण सम्प्रति खान एवं भूतत्व विभाग मुख्यालय के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 5069 दिनांक 10.09.2025 से आरोप पत्र में अंकित अवचार के बिन्दु पर लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

3. श्री लाल बिहारी प्रसाद (भू–भौतिकशास्त्री) तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, सारण सम्प्रति खान एवं भूतत्व विभाग मुख्यालय द्वारा दिनांक–30.10.2025 को लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री लाल बिहारी प्रसाद द्वारा अवैध खनन/परिवहन में जप्त वाहनों के राज्यसात किये जाने के फलस्वरूप उक्त वाहनों की नीलामी में नीलामकर्ता द्वारा जमा की गयी डी0डी0 सरकारी खाते में जमा नहीं करायी गयी तथा निविदा के विषय का अनुपालन नहीं किया गया। समीक्षोपरांत सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री लाल बिहारी प्रसाद द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। श्री लाल बिहारी प्रसाद प्रथम दृष्टतया दोषी प्रतीत पाये गये हैं। श्री लाल बिहारी प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को देखते हुए इसकी जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है।

4. अतएव श्री लाल बिहारी प्रसाद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, सारण तथा** प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, **खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, सारण** को नियुक्त किया जाता है।

P.T.O

5. श्री लाल बिहारी प्रसाद से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

अनुलग्नकः—आरोप पत्र साक्ष्य सहित (संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री लाल बिहारी प्रसाद हेतु)

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/—
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक—प्र0—II—रा0(आ0)—24/2025—................../एम0, पटना, दिनांक................
प्रतिलिपि :—अवर सचिव, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—प्र0—II—रा0(आ0)—24/2025—................../एम0, पटना, दिनांक................
प्रतिलिपिः—अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, सारण—सह—संचालन पदाधिकारी/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, सारण—सह—प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/ श्री लाल बिहारी प्रसाद (भू—भौतिकशास्त्री) तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, सारण सम्प्रति खान एवं भूतत्व विभाग मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही का निष्पादन कर जाँच प्रतिवेदन (मंतव्य सहित) विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—प्र0—II—रा0(आ0)—24/2025—................../एम0, पटना, दिनांक................
प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, सारण को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—प्र0—II—रा0(आ0)—24/2025—................../एम0, पटना, दिनांक................
प्रतिलिपिः— उप निदेशक, अंचल कार्यालय, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—प्र0—II—रा0(आ0)—24/2025—....39..../एम0, पटना, दिनांक 02/01/26
प्रतिलिपिः—माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/ स्थापना शाखा (मु0)/आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

02/01/26
सरकार के अपर सचिव

2.1.26

D:\Sanjay\arop/Sankalp